UPLK010078262026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Smt. Neetu Pathak), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06198**

Criminal Misc. Cases/944/2026

अर्जुन सोनकर पुत्र रामपत सोनकर निवासी एल0जी0ए0 24 रामानन्द मार्केट सीतापुर रोड, थाना अलीगंज, लखनऊ, मूल निवासी ग्राम व पोस्ट बेलहरा, थाना बाल्टरगंज, जनपद बस्ती।

बनाम

अतीक अहमद निवासी म0नं0 498/85 पन्ना लाल रोड, डालीगंल, लखनऊ एवं 201 स्टार अपार्टमेन्ट नियर टी0जी0 हास्टल, खदरा, लखनऊ।

08–07–2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी।

2– पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

3– मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का परिशीलन किया।

4– आवेदक अर्जुन सोनकर द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–173(4) के अन्तर्गत यह आवेदन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

5– आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि आवेदक अनुसूचित जाति (खटिक/पासी) के अंतर्गत आता है। ''दिनॉक–01.01.2025 को विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा प्रार्थी/वादी से स्वयं सम्पर्क कर बताया कि मैं सीतापुर रोड खदरा लखनऊ में स्थित–एस०के० मेडिसिटी का मालिक हूँ। मेरे हास्पिटल में भूतल पर एक दुकान खाली है, उस पर मेडिकल स्टोर चलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ एग्रीमेण्ट कर मेडिकल स्टोर के संचालक बन जायें और उसे लगभग 5,00,000/– रूपये लगाने की बात कही, और कहा कि शीघ्र ही आपका पैसा अदा हो जायेगा। प्रार्थी/वादी ने अतीक अहमद से कहा कि इस समय मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं है कुछ समय रूक जाओ, परन्तु अतीक अहमद ने कहा कि कुछ टोकेन धनराशि दे दो, जिससे किरायेदारी अनुबन्ध–पत्र तैयार करा देता हूँ। प्रार्थी/वादी, विपक्षी/अभियुक्त अतीक की बातों पर विश्वास करते हुए दिनॉक– 01.01.2025 को टोकेन मनी के रूप में 50,000/– रूपये ऑनलाईन भुगतान विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा दिये गये फोन नम्बर पर भुगतान कर दिया। प्रार्थी/वादी अगले दिन जब हास्पिटल गया तो विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा दुकान चलाने की बात कही, दुकान की स्थिति ठीक नहीं थी, जिस पर विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा प्रार्थी/वादी से और रूपये देने के लिये कहा, जिस पर प्रार्थी/वादी ने एग्रीमेण्ट की बात कही तो विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा कहा गया कि पहले दुकान की मरम्मत

करा लो और उसमें दवाईया रख लो, फिर एग्रीमेण्ट करा लेते हैं। विपक्षी/अभियुक्त की बातों पर विश्वास करके प्रार्थी/वादी ने दिनॉक–02.01.2025 को रूपये 50,000/–, दिनॉक–04.01.2025 को रूपये 50,000/–, दिनॉक–05.01.2025 को रूपये 50,000/– का भुगतान कर दिया। विपक्षी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त भुगतान प्राप्त करने के बाद उक्त दुकान की मरम्मत का कार्य कराया जाने लगा, प्रार्थी के पूछने पर विपक्षी ने कहा कि दुकान का कार्य पूरा होने के पष्चात दवाईयाँ खरीदकर दुकान में रखने के पश्चात विक्रय हेतु मैं आपको सूचित करूंगा। विपक्षी/अभियुक्त द्वारा प्रदत्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात जब विपक्षी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को कोई जवाब नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त के पास दिनॉक–05.03.2025 को हास्पिटल गया तो विपक्षी द्वारा बताया गया कि रूपये कम पड़ जाने के कारण काम अधूरा रह गया है, इसलिये आपसे सम्पर्क नहीं किया, जिस पर प्रार्थी वादी ने विपक्षी/अभियुक्त से कहा कि हमें क्या करना है तो विपक्षी/अभियुक्त ने कहा कि दुकान की पूर्ण मरम्मत करवाने एवं दवा खरीदकर दुकान में रखने हेतु मुझे 3,00,000/– रूपये और दो तो आगे का काम पूरा हो जायेगा। प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त की बातों पर विश्वास करते हुए दिनॉक–17.03.2025 को रूपये 90,000/–, दिनॉक–19.03.2025 को रूपये 90,000/–, दिनॉक–26.03.2025 को रूपये 10,000/–, दिनॉक–11.04.2025 को रूपये 10,000/–, दिनॉक–13.04.2025 को रूपये 10,000/–, अतीक अहमद के मोबाइल नम्बर पर आन लाईन भुगतान किया। प्रार्थी/वादी द्वारा विपक्षी/अभियुक्त को कुल धनराशि 5,00,000/– रूपये उपरोक्तानुसार भुगतान किया। तदोपरान्त उपरोक्त कथन के सम्बन्ध में प्रार्थी/वादी द्वारा दुकान का एग्रीमेण्ट किये जाने हेतु निरन्तर सम्पर्क करता रहा तो विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा दिनॉक–22.04.2025 को 11 माह की अवधि का एग्रीमेण्ट तैयार कराकर उपरोक्त हास्पिटल के अन्दर निर्मित हास्टिपल एवं दुकान स्वामी के रूप में स्वयं के हस्ताक्षर न बनाकर दुकान स्वामी के रूप में जावेद मोहसीन खान अंकित था, जिसे पढ़कर प्रार्थी अचम्भित एवं आशंकित हो गया। इस पर प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद से पूँछा कि एग्रीमेण्ट में अपना नाम न लिखाकर जावेद का नाम क्यों लिखा दिया, इस पर अतीक ने कहा पहले मैं मालिक था, अब जावेद मोहसिन मालिक हैं। विपक्षी/अभियुक्त ने प्रार्थी/वादी से कहा कि आप अपना हस्ताक्षर एग्रीमेण्ट पर कर दो, जावेद मोहसीन से हस्ताक्षर कराकर दुकान आपको किराये पर दूँगा। दिनॉक–01.05.2025 को रूपये 20,000/–, दिनॉक–03.05.2025 को रूपये 30,000/–, एवं दिनॉक–09.05.2025 को रूपये 10,000/– आन लाईन अतीक के मोबाइल फोन पर भेजा, तथा दिनॉक–10.05.2025 को 20,000/– रूपये नगद दिया। इस प्रकार प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त को कुल धनराशि 5,00,000/– रूपये दिया। विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा प्रार्थी/वादी को दिनॉक–20.05.2025 को हास्पिटल बुलाया कहा कि दुकान ले लो। जब प्रार्थी/वादी हास्पिटल गया और विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद से मिला, तब विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद ने हास्पिटल स्थित दुकान प्रार्थी को दिखाई, जब प्रार्थी/वादी ने उक्त दुकान को देखा तो उसमें कोई भी मरम्मत का नया कार्य नहीं हुआ था, दुकान में दवा रखने हेतु कम फर्नीचर लगा था। प्रार्थी/वादी ने दुकान को अपने कब्जे में लेकर उसमें थोड़ा कार्य कराकर सेटअप तैयार कराकर

दुकान का संचालन कर दिया। दिनॉक–28.05.2025 को जावेद मोहसिन खाँ, प्रार्थी/वादी के दुकान पर आये और कहने लगे कि यह दुकान तुम कैसे चला रहे हो तो प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा किये गये रेण्ट एग्रीमेण्ट को दिखाया, जिसे देख जावेद मोहसिन खान ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, अतीक अहमद ने इस पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर बनाये हैं, यह एग्रीमेण्ट फर्जी है। इस पर प्रार्थी ने विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद को फोन किया जिस पर अतीक अहमद का फोन बन्द पाया गया। विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा प्रार्थी/वादी के छलकपट, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने आपको दुकान का स्वामी बनाकर प्रार्थी/वादी के साथ एग्रीमेण्ट कर अमानत में खयानत का कृत्य कारित करते हुए उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी की कुल धनराशि 5,00,000/– हड़पकर लिया है। विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद व जावेद मोहसिन की आपसी रंजिश के कारण एस०के० मेडिसिटी हास्पिटल बंद हो गया, जिस कारण प्रार्थी/वादी का व्यवसाय भी बन्द हो गया। प्रार्थी/वादी ने विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद से मिलकर बातचीत करने का प्रयास किया काफी प्रयास के बाद प्रार्थी/वादी को पता चला कि अतीक अहमद न्यू हास्पिटल खदरा लखनऊ में मिलेगें। प्रार्थी/वादी दिनॉक–03.12.2025 को समय करीब 09:00 रात में न्यू खदरा हास्पिटल खदरा लखनऊ गया वहाँ पर विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद मिले प्रार्थी/वादी ने जावेद मोहसिन द्वारा बतायी गयी सभी बातें बतायी और कहा कि हमें दुकान नहीं चाहिये हमारा रूपया 5,00,000/– वापस कर दो, जिस पर विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद ने प्रार्थी से कहा कि एक भी रूपया वापस नहीं करेगें। प्रार्थी/वादी ने विपक्षी / अभियुक्त से कहा कि हम कानूनी कार्यवाही करेगें, जिस पर विपक्षी /अभियुक्त अतीक अहमद नाराज होकर प्रार्थी/वादी को गन्दी गन्दी माँ–बहन की व जातिसूचक गालियाँ सार्वजनिक स्थल पर देते हुए लात घूंसों से मारने लगे प्रार्थी के बचाव–बचाव की आवाज करने पर प्रार्थी के साथ गये शिवम व अनुज लोगों ने प्रार्थी/वादी को बचाने का प्रयास किया, किसी तरह से प्रार्थी/वादी की जान बच पायी। विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद ने धमकी देते हुए प्रार्थी / वादी से कहा कि हमारे बारे में पता कर लो कि हम कितने खतरनाक व्यक्ति हैं पुलिस थाना से लेकर उच्चाधिकारियों तक हमारी ऊँची पहुँच हैं, हमारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हों, अपना रूपया भूल जाओ, अन्यथा इस बार तो बच गये हो अगली बार तुम्हें जान से ही खत्म कर देगें। प्रार्थी/वादी ने उक्त घटना की सूचना तत्काल दिनॉक–08.12.2025 को श्रीमान थानाध्यक्ष थाना मदेयगंज, लखनऊ को दिया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी/वादी द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र दिनॉक–15.01.2026 व दिनॉक–01.02.2026 को दिया है। उसके बावजूद विपक्षी/अभियुक्त अतीक अहमद द्वारा निरन्तर किसी न किसी माध्यम से जान से मारने की धमकियां दी जा रही है।''

6– आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, किरायेदारी अनुबंध पत्र की छायाप्रति, इकरारनामा की छायाप्रति, विपक्षी का ऑन लाइन भेजे गये पैसों की छायाप्रति, थानाध्यक्ष, मदेहगंज व पुलिस आयुक्त, लखनऊ को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं।

7– सुना एवं समस्त अभिलेखों व थाने की आख्या का अवलोकन किया।

8— प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित है कि विपक्षी द्वारा आवेदक को कूटरचित व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल में मेडिकल स्टोर चलाने हेतु पांच लाख रूपये लेकर उन्हें हड़प लिया गया और जब आवेदक द्वारा विपक्षी से अपना पैसा वापस मांगा गया तो विपक्षी द्वारा उसे जातिसूचक गालियां देते हुए मारापीटा व जान से मारने की धमकी दिया।

9— थाने की आख्या अनुसार उक्त प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

10— हस्तगत प्रकरण में परिलक्षित तथ्यों से यह प्रकट हो रहा है कि पक्षकारों के मध्य रूपयों के लेन—देन का विवाद है। विधिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति व परिणाम जानते हुए कोई कार्य करता है। आवेदक अर्जुन सोनकर द्वारा यह जानते हुए कि विपक्षी द्वारा जिस किरायेदारी अनुबंध पर आवेदक के हस्ताक्षर कराये जा रहें है, वह अनुबंध पत्र विपक्षी अतीक अहमद व आवेदक अर्जुन सोनकर के मध्य न होकर जावेद मोहसिन खान व आवेदक अर्जुन सोनकर के मध्य था, इसके बावजूद भी आवेदक द्वारा लगातार विपक्षी अतीक अहमद के खाते में पैसे भेजना जारी रखा गया है। किरायेदारी अनुबंध पत्र पर आवेदक द्वारा उक्त किरायेदारी अनुबंध पत्र दिनांकित 10.01.2025 पर हस्ताक्षर किये गये एवं स्वयं हस्ताक्षर न किये जाने का भी कोई खण्डन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा सभी कुछ जानते हुए अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। अवलोकनीय यह भी है कि प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह पूर्व से विपक्षी को कब से व कैसे जानता था। अचानक एक दिन किसी के सम्पर्क करके व्यवसाय के लए पैसे मांगने पर कोई समान्य प्रकृति का व्यक्ति पैसे नहीं देगा, जैसा कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गा है। प्रकरण मारपीट करने, जाति सूचक गालियां देने के आक्षेप के अतिरिक्त पूर्णतया सिविल प्रकृति का है, जिसके समस्त तथ्य प्रार्थी/वादी के निजी ज्ञान में है। अतः प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा।

11— प्रार्थना—पत्र में आवेदक द्वारा घटना का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। आवेदक को सभी तथ्य ज्ञात हैं। निर्णय विधि **नरेश कुमार वाल्मिकी आदि बनाम उ0प्र0 राज्य 2022 (121) ए0सी0सी0 782** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अभियोग दर्ज कराने हेतु विशेष न्यायाधीश न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को भी परिवाद में व्यवहृत किया जा सकता है। इसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित होगा।

12— अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय विधि—**रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2001 (2) जेआईसी 231 इलाहाबाद हाईकोर्ट फुल बेन्च, योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2005 (2) जेआईसी 686 इलाहाबाद हाईकोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य 2009 (4) जेआईसी 779 इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुखवासी प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2008 (1) एसीआर 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2005 (1) एसीआर 155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति म0प्र0 राज्य तथा अन्य 2001 (42) एसीसी 459 (सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी**

सच्चिदानंद हरी साक्षी व अन्य 2001 (सप्लीमेंट्री) एसीसी 957 (सुप्रीम कोर्ट) में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र,परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाये।

13— उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायसंगत होगा।

14— निर्णय विधि **प्रतीक अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य 2024 ए0एच0सी0, लखनऊ 78272** में यह व्यवस्था दी गयी है किः—

"9-To steer clear the obfuscation, it is necessary to notice the language deployed therein. The Magistrate while taking cognizance of an offence should have with him the statement on oath of the complainant and if any witnesses are present, their statements. The taking of cognizance under section 223 of the BNSS would come after the recording of the sworn statement, at that juncture a notice is required to be sent to the accused, as the proviso mandates grant of an opportunity of being heard."

15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० एवं उसके साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० की प्रति के साथ प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस जारी किया जायेगा और उसको संज्ञान के बिन्दु सुनने के उपरांत समुचित आदेश पारित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत आवेदक का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में व्यवहृत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

16— आवेदक अर्जुन सोनकर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा—173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली दिनांक—27.08.2026 को परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० हेतु पेश हो।

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6198

दिनांकः 08—07 —2026

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.07.13 18:47:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court